सिन्धु जल सन्धि

नरेश कुमार एवं हुकम सिंह
रा.ज.सं.,रूड़की

भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जल विवाद बंटवारे के समय से ही चला आ रहा है। वास्तव में जब बंटवारा हुआ तो भारत से निकलने वाली रावी एवं सतलुज नदियों के जल पर विवाद खड़ा हो गया था। ये नदियां भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में से होकर बहती हैं। किस देश को कितनी मात्रा में पानी मिले इस बात को लेकर दोनों देशों में मतभेद थे।

भारतीय उप–महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सिन्धु प्रदेश है। सिन्धु नदी विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्‌गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट है। यह भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है और अंत में करांची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एवं झेलम हैं।

आजादी के तुरंत बाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिन्धु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद प्रारम्भ हो गया। बँटवारे के बाद पहले वर्ष में भारत एवं पाकिस्तान के बीच इन्टर डोमिनियन अकोर्ड (Inter Dominion Accord of May 4, 1948) के अनुसार पानी का बँटवारा हुआ। पाकिस्तान इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) ले जाना चाहता था परन्तु भारत ने इसके लिए मना कर दिया जो इसे द्विपक्षीय समझौते द्वारा सुलझाना चाहता था।

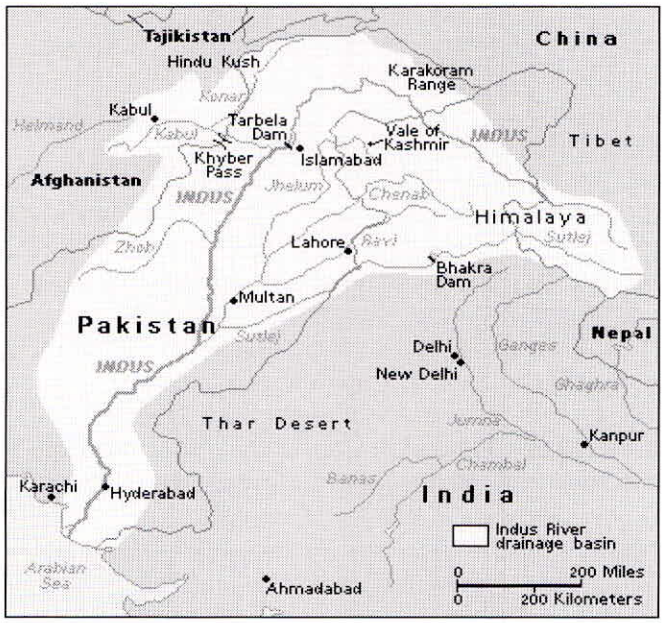

सिन्धु नदी प्रणाली

सिन्धु जल सन्धि

भारत एवं पाकिस्तान के बीच, विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिन्धु नदी के जल के बँटवारे हेतु सन्धि पर 19 सितम्बर, 1960 को हस्ताक्षर किये गये। भारत की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्व. पं. जवाहर लाल नेहरू एवं पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति मौ. अय्यूब खान ने सन्धि पर हस्ताक्षर किये।

सन्धि के प्रावधान

सिन्धु नदी तंत्र में तीन पश्चिमी नदीः सिन्धु, झेलम एवं चेनाब तथा तीन पूर्वी नदीः सतलुज, ब्यास, एवं रावी शामिल हैं। सन्धि के अनुसार भारत का पूर्वी नदियों पर पाकिस्तान में प्रवेश करने तक पूर्ण अधिकार है। पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार है। इन नदियों पर भारत का अधिकार सीमित कर दिया गया है। भारत इन नदियों के पानी का प्रयोग केवल घरेलू उपयोग, विशिष्ट कृषि उपयोग एवं जलविद्युत उत्पादन हेतु ही कर सकता है।

सिन्धु जल सन्धि के तहत भारत की यह जिम्मेदारी है कि वह सिन्धु, झेलम एवं चेनाब पर बनाई जाने वाली किसी भी बिजली परियोजना की पूरी जानकारी पाकिस्तान को दे। इसके अलावा सिन्धु, झेलम एवं चेनाब से हर महीने पाकिस्तान की तरफ कितना पानी जाता है उसके बारे में पाकिस्तान को जानकारी दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों देशों ने एक सिन्धु जल आयोग बनाया हुआ है, जिसकी हर वर्ष बैठक होती है जिसमें सिन्धु जल सन्धि के बारे में सूचनाओं का आदान–प्रदान होता है एवं आपसी शिकायतें दूर करने का प्रयास किया जाता है।

आज भी मैं यही कहता हूँ जो पहले कहता था – सबको हिन्दी सीखनी चाहिए।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी